(1)

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर 342 032

क्रमांक एफ 5(Ragging)प्राशिनि / ई–2 / दिनांक

:: परिपत्र ::

शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887 / 2009 [SLP(C) 27295/2000] में पारित आदेश दिनांक 11.02.09 की क्रियान्विति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति (जो कि विभागीय वेबसाईट **http://dte.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है) संलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में रैगिंग को रोके जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावें।

प्रत्येक संस्थान में संस्थान स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी [**Anti Ragging Committee**] तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड [**Anti Ragging Squad**] का गठन किया जावें। एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्यों के चयन में विभिन्न संवर्ग का प्रतिनिधित्व हो, जिसमें महिलाऐं भी सम्मिलित हो। **एंटी रैगिंग कमेटी प्रधानाचार्य की** अध्यक्षता में गठित होगी जिनमें निम्नानुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावेः–

- *Representative of Civil and Police Administration*
- *Representative of Local Media*
- *Representative of N.G.O. involved in Youth Activities*
- *Representive of Faculty Members*
- *Representative of Parents*
- *Representative of Students belonging to the fresher's category as well as seniors*
- *Representative of Non – Teaching Staff*

एंटी रैगिंग **स्क्वाड** संस्था प्रधान द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधियों में से संस्थान के ही प्रतिनिधियों को सम्मिंलित करते हुए स्वयं की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक उड़नु दस्ता होगा जो कि **रैगिंग को रोके जाने के संबंध में सदैव सजग रहेगा तथा आकस्मिक रूप से छात्रावासों, कन्टीन एवं अन्य स्थानों जहॉ पर रैगिंग की संभावना हो, समय–समय पर निरीक्षण करेगा।** एंटी रैगिंग स्क्वाड पूर्णतः एंटी रैगिंग कमेटी के निर्देशानुसार कार्य करेगा इस दस्ते में संस्थान के अतिरिक्त कोई भी बाहरी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा संस्थान परिसर में से ही विभिन्न संवर्गो में से इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

20/8/05

पॉलिटेक्निक संस्थान संयुक्त निदेशक एंव सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर की अध्यक्षता में स्थापित एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सैल को इस संबंध में रिपोर्ट प्रेषित करेंगें तथा समय–समय पर मार्ग–दर्शन प्राप्त करेंगें।

प्रत्येक संस्थान में संस्था प्रधान द्वारा हॉस्टल वार्डन के मोबाईल फोन नम्बर और संस्थान के प्रधानाचार्य के दूरभाष नम्बर एवं एंटी रैगिंग कमेंटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्यों के दूरभाष नम्बर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के दूरभाष नम्बरों की जानकारी विद्यार्थियों **विशेष रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दिये जाने हेतु पेम्पलेट के माध्यम से वितरित करने तथा प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में सभी विद्यार्थियों से रैगिंग नहीं करने के संबंध में शपथ–पत्र लिये जाने की कार्यवाही भी की** जावे।

BHUVANESH//
G:\Ragging.doc
क्र. प. उ.

प्रत्येक प्रधानाचार्य संस्थान में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जिसमें शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कार्मिक, अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिक, संस्थान परिसर में केन्टीन चलाने वाले ठेकेदार एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिक, चौकीदार एवं अन्य सफाई कर्मी आदि समस्त कार्मिकों से इस आशय की अण्डरटेकिंग प्राप्त करेगा कि रैगिंग संबंधी कोई भी गतिविधि उक्त कार्मिक के ध्यान में आते ही वह इसकी सूचना तुरन्त प्रधानाचार्य को देगा।

नव प्रवेशित छात्रों को छोटे-छोटे समूह में विभाजित किया जाकर प्रत्येक समूह की जिम्मेवारी संस्थान में कार्यरत अध्यापकों/कार्मिकों को दी जावेगी उक्त कार्मिक अपने समूह के छात्रों से प्रतिदिन चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं कठिनाईयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा तथा इस संबंध में उनकी मदद हेतु आवश्यक कदम उठायेगा । यदि नव प्रवेशित छात्र छात्रावास में निवास करते हैं यह उस समूह के अध्यापक की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने समूह के छात्रों एवं छात्रावास वार्डन से समन्वय स्थापित करें तथा इन छात्रों के कक्षों में आकस्मिक निरीक्षण कर रैगिंग नहीं लिया जाना सुनिश्चित करें। यदि नव प्रवेशित छात्रों हेतु पृथक से हॉस्टल ब्लॉक उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है तो छात्रावास वार्डन, सुरक्षा कर्मी, संस्थान कार्मिकों की जिम्मेवारी होगी कि वे वरिष्ठ छात्रों का नव प्रवेशित छात्रों के कक्षों में प्रवेश पर निगरानी रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि रैगिंग नहीं हो।

ह०

(एस. के. सिंह)
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा
दिनांक 13/8/09

क्रमांक :-5(Ragging)प्राशिनि/ई-2/ 7080-7140
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.18(3)त.शि./2002 दिनांक 17.7.09 के कम में प्रेषित कर निवेदन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार हॉस्टल वार्डन का हर पल दूरभाष अथवा संचार के अन्य माध्यमों द्वारा सम्पर्क किये जाने हेतु उपलब्ध होना आवश्यक हैं। अतः हॉस्टल वार्डन को संस्थान स्तर से मोबाईल फोन उपलब्ध करवाने की अभिशंषा की गयी हैं। इस संबंध में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के अराजकीय फण्ड से हॉस्टल वार्डन को मोबाईल फोन उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में **जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी [Anti Ragging Committee]** का गठन किया जाना है अतः तदनुरूप राज्य सरकार स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
3. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपकी अध्यक्षता में एक एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सैल स्थापित कर सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करें तथा इनमें कार्यरत एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड की गतिविधियों की मोनिटरिंग करें एंव समय-समय पर इनका मार्ग-दर्शन करें।
4. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय, निजी एंव पीपीपी पोलिटेक्निक ....

   को शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 [SLP(C) 27295/2000] में पारित आदेश दिनांक 11.02.09 की कियान्विति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम दिशा निर्देशों एंव उपरोक्त परिपत्र के अनुरूप रैगिंग को रोके जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावें।
5. प्रोग्रामर, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा

BHUVANESH//
G:\Ragging.doc

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक :– एफ 5 (105)प्राशिमं / सामान्य / 2013–14 / दिनांक

प्रधानाचार्य,
मण्डल से संबद्ध समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
द्वारा ई मेल।

विषय :– पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में रैगिंग की रोकथाम के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 14.08.13 को एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि आप पूर्व में प्रेषित परिपत्र क्रमांक एफ 5(रैगिंग) / प्राशिनि. / ई–2 / 7080–7140 दिनांक 13.08.09 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप रैगिग की रोकथाम के संबंध में तत्काल प्रभावी आवश्यक कार्यवाही करें.। परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी एवं एंटी रैगिंग स्कवाड का गठन एवं रैगिंग की रोकथाम के संबंध में दिये गये अन्य निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब सूचित करें।

पूर्व में प्रेषित परिपत्र क्रमांक एफ 5(रैगिंग) / प्राशिनि. / ई–2 / 7080–7140 दिनांक 13.08.09 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु आपको पुनः प्रेषित की जा रही है। परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि गठित की गई एंटी रैगिंग कमेटी एवं एंटी रैगिंग स्कवाड की गतिविधियों के तिमाही प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें एवं आवश्यकता होने पर प्रकरण तात्कालिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में लावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

ह0
(अशोक कुमार चौहान)
संयुक्त निदेशक एवं सचिव
(अध्यक्ष ऐंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल)

क्रमांक :– एफ 5 (105)प्राशिमं / सामान्य / 2013–14 / 4828 दिनांक 16 AUG 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, (ई–2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
3. श्री पुखराज पालीवाल, को ई मेल करने हेतु।
4. नोडल अधिकारी को मण्डल की वेब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।

(अशोक कुमार चौहान)
संयुक्त निदेशक एवं सचिव
(अध्यक्ष ऐंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल)